बीकानेर नगर निगम
नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फोन नं.:- 0151-2226906, 0151-2226902, 0151-2226905,
EMAIL ADDRESS :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- bikanermc.org

क्रमांक/सामाय/बोर्ड बैठक/2015/22180-85—
21 जुलाई, 2015

डेयरी बूढ़ स्थल स्थीरता हेतु गाइड लाइन

दिनांक 01.07.2015 को निगम की आयोजित साधारण सभा में प्रस्ताव संख्या 05 के अनुसार उपरांत डेयरी बूढ़ लगाने हेतु निम्नानुसार गाइड लाइन जारी की गई है।

सार्वजनिक मार्गों व फूटपाथों पर अनियमित ढंग से बूढ़ लगाने की अनुमति दिये जाने से —
1. शहर की सुन्दरता प्रभावित होती है।
2. बूढ़ रखने आयाम में बाधा उत्पन्न करते हैं।
3. सार्वजनिक मार्ग पर ऐसे बूढ़ स्थापित होने से दुर्घटनाओं के कारण बन जाते हैं।
4. इन बूढ़ों से सार्वजनिक स्थानों उत्पन्न होता है।

इन पर्यावरणियों को दृष्टिगत रखते हुए यह उचित समझा गया कि बूढ़ स्थापित करने के लिए नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 340(1)(डी) के अनुसार उपरांत बनाने जाँचें। उप-विभि के बनाने की प्रक्रिया में समय लगने को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल उपयोग के लिए नीति (Policy) बनाया जाना उचित समझा गया। शहर में उपयुक्त रूपों में बुना जाना तथा तकनीकी मापदंड निर्धारित करने आवश्यक हैं ताकि शहर की सुन्दरता खराब नहीं हों एवं ऐसे स्थान सार्वजनिक मार्गों से दूर रहने बाहिर।

डेयरी बूढ़ की अनुमति के सामने निम्न नीति निर्धारित की जाती है :-

1. परिपत्र :-

डेयरी बूढ़ से लापरवाह ऐसा बूढ़ जिससे विक्रय के प्रयोजनार्थ बूढ़ की आपूर्ति की जाती है या जिससे विक्रय के प्रयोजनार्थ बूढ़ रखा जाता है या जो 1. मक्खन 2. धीर 3. पनीर 4. रही 5. छाछ के विक्रय के लिए रखा जाता है जिसकी साइज 6'X6' से अधिक नहीं हो।

2. प्रक्रिया :-

1. आवेदक को आवेदन शुल्क रूपये 100/- जमा करवाने होगे।
2. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ प्रतिष्ठित स्थल का मानचित्र 4 प्रतियों में सलंग कराना होगा, जिसमें साइट प्लान, फूटपाथ की चौड़ाई, निर्मित सड़क की चौड़ाई दर्शाता करनी होगी।

[Signature]
3. प्रस्तावित स्थल के आस-पास 100 मीटर में चल रही गतिविधियों का फोटोग्राफ़ संलग्न करना होगा।

(3) प्रतिबिंत श्रेणी:— निम्न स्थान एवं स्थलों को बृहस्पति करने हेतु प्रतिबिंत किया जाता है।

1. अक्षपूर्विक पुरातत्व एवं हैरिटेज सम्पत्तियों से 100 मीटर दूरी तक का क्षेत्र।
2. सड़क पर व सड़क के मोड़ पर जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न होती हो।
3. राजस्थान नगर पालिका (भूमि नियोजन) नियम, 1974 के नियम 22 के अनुसार राज्य मार्ग के मध्य में दोनों ओर 50 फुट एवं राष्ट्रीय मार्ग मध्य से दोनों ओर 100 फुट तक का क्षेत्र में प्रतिबंध है।
4. निजी आवासीय भवन/भूखंड के आगे/पूल या नाले पर। परन्तु निजी आवास भवन/भूखंड के आगे उसके स्वामी के द्वारा लिखित सहमति देने पर भवन/भूखंड के आगे का क्षेत्रफल प्रतिबिंत नहीं रहेगा।
5. पूर्व में ही स्थापित बृहस्पति से 500 मीटर दूरी तक का क्षेत्र।
6. नगर निगम की योजना/नगर विकास न्यास की योजना/निजी योजना जो उपयोगिता नियम, 1975 के अन्तर्गत स्वीकृत है ते में 40 फीट पर कम चौड़ी सड़क पर।
7. यद्यपि बृहस्पति करने हेतु प्रतिबिंत क्षेत्र में यदि किसी विशेष परिस्थिति में शिकारी दिया जाना आवश्यक हो तो वह प्रकरण साधारण समय के समक्ष रखकर निर्णय लिया जायेगा।

(4) स्थापत्य:—
1. बृहस्पति के स्वीकृत मुख्य नगर पालिका अधिकारी/आयुक्त द्वारा ही प्रदान की जायेगी।

(5) बृहस्पति की गारंटी:—
1. जिस व्यक्ति के लिए, जिस स्थान के लिए तथा जिसं उदेश्य/कार्य के लिए अनुमति दी गई है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा तथा अनुमति आहस्तात्त्विकी होगी।
2. डेवलपर्स बृहस्पति के आगे टेबल, बैठ आदि नहीं रखें जायेंगे।
3. अनुमति जारी किये जाने की तारीख से आगमी आने वाली 31 मार्च तक अवधि के लिए मान्य होगी। उसके पश्चात किसान 10 अप्रैल तक जमा करने पर ही वित्तीय वर्ष के लिए बृहस्पति की अनुमति मान्य होगी।
4. राज्य सरकार/नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी/आयुक्त के द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देश/आदेश की पालना करनी होगी।
5. डेवलपर्स बृहस्पति पर पान, बीड़ो, लिगरेट, गुट्ट्सा नहीं बेचें, जाएं, अन्यथा स्वीकृति निरस्त की जायेगी।
6. नीति के प्रावधान उन प्रकरणों पर भी लागू होंगे जिनमें पूर्व में लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

7. वित्तीय वर्ष 2015-16 के जारी लाइसेंस थारको को भी पुन: आवेदन प्रस्तुत करना होगा/नीति के अनुसार जाँच करके दुबारा नया लाइसेंस जारी किया जावेगा। किन्तु ऐसे प्रकरणों को निरस्त नहीं किया जावेगा। स्थान पर्वतन किया जा सकता है।

8. जन सुरक्षा/प्रतिबन्धित क्षेत्र अथवा विन्दू संख्या 5(1) से (5) में वर्णित शर्तों का उल्लंघन करने पर अनुमति निरस्त कर दी जायेगी। अनुमति निरस्त करने से पहले यथोचित सुनवाई का अवसर आवेदक को दिया जावेगा।

आयुक्त
बीकानेर नगर निगम

क्रमांक/सामा/बोर्ड बैठक/2015/32410-85-- 2) जुलाई, 2015

प्रतिलिपि:
1. श्रीमान महापौर, नगर निगम बीकानेर
2. श्रीमान उपमहापौर, नगर निगम बीकानेर।
3. आयुक्त, नगर निगम बीकानेर।
4. उपायुक्त (सामान)/उपायुक्त (विकास), नगर निगम बीकानेर।
5. मुख्य लेखाधिकारी/स्थानीय अधिकारी/राजस्व अधिकारी/अभियंता/सहायक अभियंता/करियों अभियंता (विकास)/मण्डल अधीक्षक, नगर निगम बीकानेर।
6. समस्त शाखा प्रभारी, बीकानेर
7. सुरक्षित पत्रकारी।

आयुक्त
बीकानेर नगर निगम